

अमेरिका की प्रायोरटी वॉच लसिट

प्रलिस के लयि:

[बौद्धिक संपदा अधिकार नीति परबंधन संरचना, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार \(IPR\) नीति 2016, भौगोलिक उपदर्शन परमाणन \(GI\) टैग, कॉपीराइट, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा](#)

मेन्स के लयि:

[बौद्धिक संपदा अधिकार, आवश्यकता और चुनौतियाँ](#)

[स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड्स](#)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका की USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट में [बौद्धिक संपदा \(IP\)](#) के संबंध में सुरक्षा और प्रवर्तन संबंधी चिंताओं के कारण चीन, रूस, वेनेजुएला एवं तीन अन्य देशों के साथ भारत को भी पुनः '[प्रायोरटी वॉच लसिट](#)' (PWL) में शामिल किया गया है।

- वर्ष 2020 एवं 2021 सहित वगित कुछ वर्षों में, अमेरिका द्वारा भारत को USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है।

USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है?

परचिय:

- 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 182 द्वारा अधिदिशति, यह अमेरिकी व्यापार भागीदारों की बौद्धिक संपदा (IP) सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये की जाने वाली वार्षिक समीक्षा है।

सूचीबद्ध करने हेतु मानदंड:

- USTR नगिरानी सूची में देशों को नामति करते समय IP चिंताओं की गंभीरता, अमेरिकी अधिकार धारकों पर आर्थिक प्रभाव एवं पहचाने गए मुद्दों को संबोधति करने में प्रगति की कमी जैसे कारकों पर वचिार करता है।

- प्रायोरटी वॉच लसिट' (PWL):** में शामिल देशों को अपर्याप्त IP संरक्षण और प्रवर्तन के सर्वाधिक गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। यदि ये आवश्यक सुधार प्रदर्शति करने में वफिल रहते हैं तो USTR औपचारिक व्यापार जाँच शुरू कर सकता है या प्रतबंध लगा सकता है।


- वॉच लसिट (नगिरानी सूची)** इसमें सूचीबद्ध देशों में कुछ स्तर तक अनुचित IP कार्यप्रणालियाँ होती हैं, कतिइनकी गंभीरता उतनी नहीं होती है जतिनी PWL में सूचीबद्ध देशों से संबंधति IP कार्यप्रणालियों की होती है। USTR देशों की नगिरानी करने और उन्हें अपने IP शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रोत्साहति करने के लिये नगिरानी सूची का उपयोग करता है।

अमेरिकी सरकार की पहलें:

- समर्थन के प्रयास (Advocacy Effort):** USTR व्यापारिक साझेदारों के साथ IP सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये द्विपक्षीय वार्ता, [वशिव व्यापार संगठन \(WTO\)](#) की भागीदारी और हतिधारक जुड़ाव को नयिोजति करता है।
- तकनीकी सहायता:** अमेरिका वधिक और प्रशासनिक कर्मियों के प्रशिक्षण के माध्यम से वकिसशील देशों में IP कार्यप्रणालियों को सुदृढ़ करता है।
- जालसाजी और चोरी वशिधी प्रयास (Anti-Counterfeiting and Piracy Efforts):** USTR साझेदार देशों और संगठनों के साथ संयुक्त कार्रवाई, सूचना आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के माध्यम से जालसाजी और चोरी का वशिध करता है।

रिपोर्ट में भारत से जुड़ी क्या चर्चाएँ जताई गई हैं?

- **भारत का स्थान:** स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को नरिंतर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में **रखा गया** है, जो अमेरिकी IP हतिधारकों के लिये IP सुरक्षा, प्रवर्तन और बाज़ार पहुँच के संबंध में **महत्त्वपूर्ण चर्चाओं** को दर्शाता है।
 - रिपोर्ट के अनुसार, IP सुरक्षा और प्रवर्तन के मामले में भारत सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।
- **अपर्याप्त IP प्रवर्तन:** USTR रिपोर्ट भारत के IP प्रवर्तन में वभिन्न कमियों की पहचान करती है, जसिमें **ऑनलाइन पायरेसी की उच्च दर, ट्रेडमार्क वरिध के मामलों में बैकलॉग और ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त वधिक तंत्र** शामिल हैं।
 - इनमें IP उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क और इस बात की चर्चाएँ शामिल हैं कि क्या भारत के पास संभावति फारमास्युटिकल पेटेंट वविदों के शीघ्र समाधान हेतु एक प्रभावी तंत्र है।
- **कॉपीराइट अनुपालन संबंधी मुद्दे:** भारत को **वशिव बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** इंटरनेट संधियों को पूरी तरह से लागू करना चाहयि और कॉपीराइट धारक अधिकारों की रक्षा के लिये इंटरैक्टिवि ट्रांसमशिन हेतु कॉपीराइट लाइसेंस का वसितार करने से बचना चाहयि।
 - इंटरैक्टिवि ट्रांसमशिन ऐसे प्रसारण होते हैं, जहाँ उपयोगकर्त्ता सक्रयि रूप से भाग लेता है, जैसे संगीत स्ट्रीमिंग या वीडियो डाउनलोड करना, आदी।
- **यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम:** **ट्रेडमार्क उल्लंघन** अन्वेषण और पूर्व-अनुदान वरिध कार्वाही जैसे मुद्दों के संबंध में यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम के अंतर्गत कुछ स्तर पर प्रगति तो देखी गई है, कति अभी भी कई दीर्घकालिक चर्चाओं का समाधान नहीं कयिा गया है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भारत का रुख:** भारत का रुख यह है, कि उसके कानून वशिव व्यापार संगठन के **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधति पहलु (TRIPS)** समझौते का कड़ाई से पालन करते हैं, यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय नयिमाँ के अनुसार बदलाव करने के लिये बाध्य नहीं है।



बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- ⌚ नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- ⌚ आर्थिक विकास।
- ⌚ रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- ⌚ व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- ⌚ WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - ⌚ औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 (पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - ⌚ साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- ⌚ विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:
 - ⌚ सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - ⌚ विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- ⌚ बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:
 - ⌚ पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- ⌚ मर्रकेश VIP समझौता, 2016:
 - ⌚ दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- ⌚ IPR को अनुच्छेद 27 (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- ⌚ राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:
 - ⌚ आदर्श वाक्य: "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
 - ⌚ ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
 - ⌚ सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
 - ⌚ नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- ⌚ राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- ⌚ बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हों	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष



Drishti IAS

आगे की राह

- संयुक्त बौद्धिक संपदा आयोग: सरकार को उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक स्थायी भारत-अमेरिका बौद्धिक संपदा आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता है।
 - ⌚ यह दृष्टिकोण अमेरिका-चीन IP वर्कगि गुरुप की सफलता को प्रतिबिंबित करता है, जसि संवाद को बढ़ावा देने और वशिष्ट चिंताओं को संबोधित करने का श्रेय दिया जाता है। यह आयोग नमिन कदम उठा सकता है, जसिमें शामिल हैं-
 - आपसी चिंता (Mutual Concern) के क्षेत्रों की पहचान करना और संयुक्त कार्य योजनाओं को प्राथमिकता देना।
 - IP सुरक्षा और प्रवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना।

- वधिके वसिंगतयिों को पाटने के लये सामंजस्यपूरण IP नीतयिाँ वकिसति करना ।

- कषमता नरिमाण पर ध्यान: अमेरिका भारत के पेटेंट कार्यालय और न्यायपालिका को तकनीकी सहायता की पेशकश कर सकता है, जसिमें शामिल हैं-
 - पेटेंट आवेदन प्रकरयािाँ को सुव्यवस्थति करना और बैकलॉग कम करना ।
 - IP प्रवर्तन तंत्र पर न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तन हेतु प्रशिक्षण बढ़ाना ।
 - यह रणनीति [यूस-मेक्सिको-कनाडा समझौते \(USMCA\)](#) की सफलता को प्रतबिबिति करती है, जसिमें IP प्रवर्तन पर तकनीकी सहायता के प्रावधान शामिल हैं ।
- पारदर्शति और हतिधारक जुड़ाव: दोनों देशों को IP नरिणय लेने की प्रकरयािाँ में अधिक पारदर्शति को बढ़ावा देना चाहयि ।
 - दोनों देशों के उद्योग हतिधारकों के साथ नयिमति परामर्श से व्यावहारकि चुनौतयिों और समाधानों की पहचान की जा सकती है ।
 - यह दृष्टिकोण यूरोपीय संघ की पारदर्शी IP प्रवर्तन व्यवस्था पर आधारति है, जो हतिधारकों की भागीदारी पर जोर देती है ।
- मध्यस्थता के माध्यम से वविाद समाधान: कंपनयिों के बीच IP वविादों को संबोधति करने के लये एक सुव्यवस्थति मध्यस्थता तंत्र स्थापति करने की आवश्यकता है । इसमें शामिल हो सकते हैं:
 - भारतीय और अमेरिकी बौद्धकि संपदा कानून दोनों में पारंगत नषिपकष वशिषज्जों के पैनल ।
 - पारंपरकि वविादों की तुलना में तीव्र और अधिक लागत प्रभावी समाधान ।
 - यह दृष्टिकोण [सगिापुर-भारत व्यापक आर्थकि सहयोग समझौते \(CEPA\)](#) के भीतर सफल IP मध्यस्थता प्रावधानों के समान है ।

नषिकरष:

सहयोग, कषमता नरिमाण और कुशल वविाद समाधान तंत्र स्थापति करके, भारत और अमेरिका "प्रायोरटि वॉच लसिट" के दायरे से आगे बढ़ सकते हैं । सफल वैश्वकि प्रथाओं से प्रेरति यह अभनिव दृष्टिकोण दोनों देशों के लये नवाचार और आर्थकि वकिस को बढ़ावा देते हुए **अधिक सामंजस्यपूरण और उत्पादक संबंधों** का मार्ग प्रशस्त कर सकता है ।

दृष्टभिन्स प्रश्न:

प्रश्न. वभिनिन दृष्टिकोणों पर वचिर करते हुए द्वपिकषीय संबंधों पर बौद्धकि संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था पर भारत-अमेरिका वविाद के प्रभावों पर चर्चा कीजयि । अपने मतभेदों को दूर करने में दोनों देशों के लये चुनौतयिों और अवसरों का मूल्यांकन कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न 1. 'राष्ट्रीय बौद्धकि संपदा अधिकार नीति' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. यह दोहा वकिस एजेंडा और ट्रपिस समझौते के प्रतभारत की प्रतबिद्धता को दोहराता है ।
2. औद्योगकि नीति और संवर्द्धन वभिग भारत में बौद्धकि संपदा अधिकारों को वनियमति करने के लये नोडल एजेंसी है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. भारतीय पेटेंट अधनियम के अनुसार, कसिी बीज को बनाने की जैव प्रकरया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है ।
2. भारत में कोई बौद्धकि संपदा अपील बोर्ड नहीं है ।
3. पादप कसिमें भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3

- (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. वैश्वीकृत दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकार महत्त्व रखते हैं और मुकदमेबाजी का एक स्रोत है। कॉपीराइट, पेटेंट तथा ट्रेड सीक्रेट्स के बीच व्यापक रूप से अंतर कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/us-priority-watch-list>

